2018/0071

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 33/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्री कालूलाल, नाथूलाल पुत्रान जगन्नाथ, लाडबाई, कमलेश बाई पुत्रियां जगन्नाथ, कौम मीना निवासी अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा

(अप्राथीगण)

उपस्थित :– श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक प्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद के गत खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.40 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 13 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम अमृतकुंआ तहसील सांगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2015–2024 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 13 सम्वत् 2073–2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणकी जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

3. राजकीय अभिभाषक की इकतरफा बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम अमृतकुआ

तहसील सांगोद के गत खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.40 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 13 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2015–2024 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई ,दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 13 सम्वत् 2073–2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में राजकीय अभिभाषक पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद के गत खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.40 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 13 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2015–2024 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 13 सम्वत् 2073–2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा